भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1416

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की ओर आकर्षित करना

1416 श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की ओर आकर्षित करने हेतु कौन-कौन से नए कदम उठाए गए हैं अथवा योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार द्वारा पर्यटन गंतव्यों की स्वच्छता, राज्यों के बीच निर्बाध यात्रा और आधुनिक सुविधाओं वाली बुनियादी अवसंरचना के संबंध में किस योजना पर विचार किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन, प्रशाद, पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता; आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करके उसके विकास पर विशेष बल देता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई नई पहलों में (i) बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आइजोल में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में राजमार्गों के किनारे व्यू पॉइंट्स का विकास, (iii) स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत समग्र विकास के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में 15 गंतव्यों को चिन्हित करना, (iv) क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का आयोजन आदि शामिल हैं। पिछला आईटीएम 21 से 23 नवंबर 2023 तक शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया था।

(ख): पर्यटक स्थलों की स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना तैयार की है, जिसमें विशेष रूप से छात्रों और अन्य पर्यटन हितधारकों

को ध्यान में रखकर स्वच्छता पर जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाती है। इसके अलावा, हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा उत्तर-पूर्व में स्वच्छता संबंधी 113 गतिविधियां आयोजित की गई हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में राजमार्गों पर व्यू प्वाइंट पर सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने में भी मदद मिलती है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रभावी और अनुकूल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसी उद्देश्य से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को किफायती बनाकर इसको सुविधाजनक बनाना/प्रोत्साहित करना है। पर्यटन मंत्रालय ने चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी को आगे और बेहतर बनाना है। वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 61 पर्यटन आरसीएस (टी-आरसीएस) रूटों को अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 53 रुट पहले से ही प्रचालनरत हैं। पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष इस मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

(ग): (i) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति पर्यटक पुलिस को जागरूक करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस की कार्यप्रणाली और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रलेखन' नामक अध्ययन करवाया जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था। प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटीएम द्वारा दिया गया एक प्रशिक्षण मोड्यूल भी गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था जिसे आगे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया था।

(ii) पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित इको सिस्टम बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एकसमान पर्यटक पुलिस के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर एंडडी के सहयोग से दिनांक 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) के साथ पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा संबंधी सूचना और भारत में यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित निर्देश संबंधी सहायक सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों को 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियन, अरबी), हिंदी, अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन स्थापित की है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

****